संख्या-113/2016/1337/41-2016-05 यो0/**2016**

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

विषय- भारत सरकार की प्रसाद योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा स्थित वृन्दावन में टूरिस्ट फैसिलीटेशन सेन्टर के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 2075/6-1-1 (477)/यो0/16, दिनांक 09 फरवरी, 2016 एवं पत्र सं0-580/केन्द्रीय योजना/2016, दिनांक 27.07.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद मथुरा स्थित वृन्दावन में टूरिस्ट फैसिलीटेशन सेन्टर के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित आगणन रू0 1059.20 लाख के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र सं0-5 पीएनसी (78)/2015, दिनांक 31-03-2015 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 935.76 लाख (रूपये नौ करोड पैंतीस लाख छियत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 175.59 लाख (रूपये एक करोड पचहत्तर लाख उनसठ हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत पत्र सं0-5 पीएनसी (78)/2015, दिनांक 31-03-2015 में उल्लिखित कार्यमद एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नही की गयी है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(5) प्रश्नगत योजना की वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा।

(6) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) यदि अवमुक्त की जा रही धनराशि अप्रयुक्त/शेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(10) योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11)प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु प्रस्तर-1 में स्वीकृति प्रथम किश्त की धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाए-0106-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट-मथुरा का पर्यटन विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या ई-7-907/दस-2016 दिनांक 25.10.2016 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-113/2016/1337(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान लेखा अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
7- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा।
8- अधिशासी अभियन्ता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in